पत्र संख्या–11/सू0अ0अधि0–03–27/2015(खण्ड) का0................../

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त

सभी स्वायत संस्था/सभी लोक उपक्रम/निगम/निकाय

सभी निबंधित गैर सरकारी संस्था (राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– नवम्बर, 2015

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान एवं गरीबी रेखा के नीचे के आवेदकों को मुफ्त सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु धारित व्यय की प्रतिपूर्ति के संबध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(ख) में शिकायतकर्त्ता को उनके द्वारा वहन की गई हानि या नुकसान की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, जो लोक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, परन्तु उक्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किस बजट शीर्ष से किया जाएगा इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान न होने के फलस्वरूप सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

उक्त मामले पर योजना–सह–वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

(1) सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश जिसमें लोक प्राधिकार द्वारा अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया हो तो इस तरह की राशि का भुगतान "मुआवजा" मद से किया जाना बजटीय दृष्टिकोण से श्रेयस्कर होगा। तदनुसार सुसंगत बजट शीर्ष अन्तर्गत "मुआवजा" मद/राशि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

(2) गरीबी रेखा के नीचे के आवेदकों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् निःशुल्क सूचना दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध करायें जाने हेतु भारित व्यय की प्रतिपूर्ति "कार्यालय व्यय" मद से की जा सकती है।

योजना–सह–वित्त विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में तदनुसार अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/सू0अ0अधि0–03–27/2015(खण्ड) का0 9931 /राँची, दिनांक– 19 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः– मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.11.15

सरकार के उप सचिव।